UPFR010037772022

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 01, फर्रुखाबाद

उपस्थित : अभिनितम उपाध्याय (उ०प्र० उच्चत्तर न्यायिक सेवा)

आपराधिक निगरानी संख्या–103/2022

1. सुधीर कुमार शुक्ला उम्र करीब 54 वर्ष पुत्र सदानन्द शुक्ला, प्रोपराइटर त्रिदेव ट्रेडर्स, हेड आफिस बालाजी प्रिजवर्स, सातनपुर मण्डी के सामने, थाना कोतवाली फर्रूखाबाद, जनपद फर्रूखाबाद। .....**निगरानीकर्ता/परिवादी।**

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जनपद फर्रुखाबाद।
2. लक्ष्मन पुत्र नामालूम, प्रोपराइटर मातेश्वरी आलू भण्डार, नवीन मण्डी, निचनाल, थाना निचनाल, पोस्ट निचनाल, जनपद महाराजगंज (उ०प्र०)

.....**प्रत्यर्थीगण/अभियुक्त।**

आलोच्य आदेश की तिथि –	21–04–2022
निगरानी संस्थित होने की तिथि –	04–06–2022
निगरानी अंगीकरण/पंजीकरण तिथि –	04–06–2022
निगरानी में अंतिम बहस की तिथि –	11–08–2026
निगरानी में निर्णय की तिथि –	25–08–2026
निगरानीकर्ता के अधिवक्ता –	**श्री जितेन्द्र कुमार सिंह चौहान, अधिवक्ता**
प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता–	**श्री हरिनाथ सिंह, शासकीय अधिवक्ता**
प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता–	**अनुपस्थित**

निर्णय

1. यह आपराधिक निगरानी निगरानीकर्ता सुधीर कुमार शुक्ला (परिवादी) द्वारा प्रत्यर्थीगण उ०प्र० राज्य एवं अभियुक्त के विरूद्ध धारा 397 दं०प्र०सं० के तहत दिनांक 04–06–2022 को संस्थित की गई, जिसमें परिवाद संख्या 351/2022 सुधीर कुमार बनाम लक्ष्मन में

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, कक्ष संख्या 6, फर्रूखाबाद **(विचारण न्यायालय)** द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21–04–2022 **(आलोच्य आदेश)** को चुनौती दी गई। निगरानी सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 04–06–2022 से अंगीकृत होकर पंजीकृत हुई। कालांतर में पत्रावली अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

2. प्रत्यर्थी संख्या 2 पर आदेश दिनांक 18–04–2023 से तामीला पर्याप्त माना गया परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी संख्या 1 उ०प्र० सरकार की तरफ से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गई।

3. मेरे द्वारा निगरानीकर्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। किसी भी पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस नहीं प्रस्तुत की गयी।

4. **पृष्ठभूमि–** सर्वप्रथम परिवादी (निगरानीकर्ता) सुधीर कुमार शुक्ला की तरफ से अभियुक्त (प्रत्यर्थी संख्या–2) लक्ष्मन के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, कक्ष संख्या 06, फर्रुखाबाद में धारा 138 दं०प्र०सं० के तहत परिवाद दिनांक 23–11–2017 को दायर कर परिवाद में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में पत्रावली में साक्ष्य आहूत कर अभियुक्त को तलब कर दण्डित करने की याचना की गयी। साथ ही परिवाद दायर करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु दिनांक 23–11–2017 को ही धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम सपठित धारा 142 एन०आई०एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण न्यायाल द्वारा आलोच्य आदेश से परिवाद पत्र में किए गये कथनों को ध्यान में रखते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142(ख) के परंतुक के अन्तर्गत राहत प्रदान करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं पाते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत विलम्ब माफी प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया गया।

5. **निगरानी का आधार–** मुख्यतः यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध है। परिवादी (निगरानीकर्ता) द्वारा परिवाद दाखिल करने के समय 18 दिन का विलम्ब कारित हुआ था, उक्त विलम्ब परिवादी के डेंगू रोग से पीड़ित होने के कारण हुआ था, उसने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया था, जैसे ही वह स्वस्थ हुआ, उसने विचारण न्यायालय में परिवाद योजित किया तथा 18 दिन का विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र शपथपत्र सहित धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम सपठित धारा 142 एन०आई०एक्ट के

तहत योजित किया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई कर दिनांक 21.04.2022 को आलोच्य आदेश पारित किया गया।

6. **विश्लेषण–** निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रुप से इस बिन्दु पर बल दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में केवल इस आधार पर निगरानीकर्ता (परिवादी) के विलम्ब माफी की याचना को निरस्त कर दिया गया कि निगरानीकर्ता (परिवादी) के डेंगू से पीड़ित होने के बावत कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र विलम्ब माफी प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि प्रार्थनापत्र में परिवादी ने वर्णित किया था कि परिवादी के द्वारा डेंगू रोग से पीड़ित होने का देसी इलाज कराया गया अर्थात उसका कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र उपलब्ध नहीं था।

7. यह तथ्य बिल्कुल सही है कि विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करने में हुए 18 दिन के विलम्ब को सिर्फ इस आधार पर क्षमा करने से इंकार कर दिया गया कि परिवादी के डेंगू से पीड़ित होने के बावत कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा **गौतम सैकिया प्रति दिगन्ता शर्मा** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था तथा माननीय जम्मू एवं काश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा **मंजूर अहमद बुर्जा बनाम गुलजार इण्टरप्राइजेज** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था का हवाला दिया गया है। उक्त दोनों विधि व्यवस्थाओ में माननीय न्यायालयों द्वारा अवधारित किया गया है कि न्यायालय को प्रत्येक वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर विलम्ब माफी के बिन्दु का निस्तारण करना चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में यह भी वर्णित किया गया है कि विलम्ब माफी के प्रश्न पर लचीला रुख अपनाने के बावत विधिक स्थिति सुस्थापित है, परन्तु फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा सिर्फ इस आधार पर विलम्ब माफी की याचना को निरस्त कर दिया गया कि डेंगू ज्वर से पीड़ित होने के बावत कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरे मत में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि की तकनीकी स्थिति को प्रधानता देने वाला आदेश है। विचारण न्यायालय को इस बिन्दु पर विचार करना चाहिए था कि परिवाद संस्थित करने में केवल 18 दिन का विलम्ब हुआ है तथा परिवादी द्वारा विलम्ब माफी की याचना के आधार के रुप में स्पष्ट कथन किया गया है कि परिवादी द्वारा डेंगू ज्वर का देसी इलाज कराया गया है। यह सामान्य स्थिति है कि ज्वर से पीड़ित होने पर अकसर व्यक्ति देसी इलाज कराते हैं अथवा दवा की दुकानों से दवा ले लेते हैं, जिसका कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र नहीं बनता। ऐसे में प्रश्नगत परिवाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में केवल 18 दिन के विलम्ब माफी की याचना को इस आधार पर निरस्त कर दिया जाना कि कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, खासकर तब जब परिवादी द्वारा

विशिष्ट रुप से कथन किया गया कि उसने अपना देसी इलाज कराया, किसी भी रुप में औचित्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिक रुप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, जिसे अपास्त किया जाना न्यायोचित है। तद्नुसार यह आपराधिक निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. आपराधिक निगरानी संख्या 103/2022 उक्त कारणों से स्वीकार की जाती है। तदनुसार परिवाद संख्या 351/2022, सुधीर कुमार बनाम लक्ष्मन में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 21–04–2022 अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय में वर्णित विधिक स्थिति के आलोक में परिवादी द्वारा प्रस्तुत विलम्ब माफी प्रार्थनापत्र का पुनः निस्तारण परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त करें। इस आदेश की प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली सहित विचारण न्यायालय को विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जाए। इस आपराधिक निगरानी की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त नियमानुसार अभिलेखागार में पारेषित हो।

दिनांक: 25–08–2026

(**अभिनितम उपाध्याय**)
जे०ओ० कोड– UP6192
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं० 01, फर्रुखाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उच्चारित किया गया।

दिनांक: 25–08–2026

(**अभिनितम उपाध्याय**)
जे०ओ० कोड– UP6192
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं० 01, फर्रुखाबाद।